

# कार्यालय-नगर पंचायत पिनाहट(आगरा)

पत्रांक सं०/२२५०/न०पंच०पि०/२०२२-२३

दिनांक ०१/११/२०२२

सेवा में,

निदेशक,  
स्थानीय निकाय निदेशालय,  
गोमती नगर सेक्टर सं० ७  
विस्तार लखनऊ, उ०प्र०

**विषय:-** नगर पंचायत पिनाहट की सार्वजनिक भूमि पर विधायक पति महेन्द्र अरिदमन सिंह पुत्र स्व श्री रिपुदमन सिंह भदावर हाउस आगरा द्वारा रियासत के नाम अवैध वसूली अवैध बैनामा, आदि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पंचायत पिनाहट की सार्वजनिक भूमि पर विधायक पति अरिदमन सिंह स्व० श्री रिपुदमन सिंह भदावर हाउस आगरा द्वारा रियासत के नाम पर अवैध वसूली, अवैध बैनामा, अवैध कब्जा किये गये हैं।

1. नगर पंचायत पिनाहट की सार्वजनिक भूमि आबादी गाटा सं 3158 रकबा 34.784 हे० में दुकान व मकान सार्वजनिक भूमि में अंकित है जो अन्य जमींदारों के नाम अंकित है जिसमें विधायक पति महेन्द्र अरिदमन सिंह पुत्र स्व० श्री रिपुदमन सिंह से अपने चुनावी शपथ पत्रों की निर्वाचन आयोग में लिखित में दर्शाये गये दिनांक मार्च 2007, मार्च 2012 में दर्शायी गयी दुकान व मकान जो अवैध व निराधार हैं।
2. चुनावी शपथ पत्रों की निर्वाचन आयोग में लिखित में दर्शाये गये गाटा सं० 2728 रकबा 0.0460 गाटा सं० 2865 रकबा 0.1500 में कृषि एवं बीहट की जमीन है जिस पर विधायक पति महेन्द्र अरिदमन सिंह स्व० श्री रिपुदमन सिंह ने फसली जमीन पर दुकानें दिखायी हैं जो की फर्जी है अतः विधायक पति महेन्द्र अरिदमन सिंह स्व० श्री रिपुदमन सिंह 2728 रकबा 0.0460, गाटा सं० 2865 रकबा 0.1500 को अपने पुत्र रिपुदमन सिंह के नाम 27.12.2017 को दानपत्र कर दिया गया है। उनके उपरान्त 2018-19 2020-21 को नगर पंचायत पिनाहट की सार्वजनिक भूमि पर 14 अवैध बैनामों किये गये हैं जो कि बिना गाटा सं० के हैं।
3. नगर पंचायत पिनाहट की सार्वजनिक भूमि गाटा सं 3158 पर नगर पंचायत को गुमराह कर खसरा सं० 438 आबादी के बीच टावर दिखाया है। जो गुरील कुमार(मालती) है के नाम दर्ज है जोकि कृषि भूमि है।
4. नगर पंचायत पिनाहट की सार्वजनिक भूमि पर गाटा सं० 2742 पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा ट्यूबवेल का कनेक्शन लिया गया है कनेक्शन सं० 781700533111 जोकि महेन्द्र अरिदमन सिंह पुत्र मनोज कुमार के अवैध कब्जा के नियत से लिया गया है।
5. कार्यालय नगर पंचायत पिनाहट में गृहकर पंजीयन में अवैध नाम दर्ज कराने लिये रियासत के नाम आवेदन कराने हेतु दबाव बना रहे हैं। इनके आवेदन पत्र जिलाधिकारी को दिये गये हैं पत्र सं० 233/कैम्प/कार्या०/पूर्वमंत्री/उ०प्र०सरकार/ दिनांक 16.05.2018, पत्र सं० 222/कैम्प/कार्या०/आगरा। दिनांक 28.06.2018, पत्र सं० 165/कैम्प/कार्या०/पूर्वमंत्री/उ०प्र०सरकार दिनांक 27.03.2022 को दिये गये हैं।
6. विधायक पति महेन्द्र अरिदमन सिंह स्व० श्री रिपुदमन सिंह द्वारा कार्यालय नगर पंचायत पिनाहट में अवैध गृहकर दर्ज न होने के फलस्वरूप अच्यक्ष के खिलाफ शिकायत करते रहते हैं।

संलग्नक- 1.साक्ष्यों की छायाप्रति।

2. तहसील द्वारा 3158 की छायाप्रति, 2758 की छायाप्रति।

Kishori Gupta  
अध्यक्ष

नगर पंचायत पिनाहट  
नगर पंचायत पिनाहट  
आगरा

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी महोदय आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष  
नगर पंचायत पिनाहट  
आगरा

राज्यीय वैर च्यायिक

दस  
रुपये

TEN  
RUPEES

Rs. 10

INDIA

NON JUDICIAL



AE 300572

शपथ-पत्र

समस्त श्रीमान तहसीलदार महोदय,  
तहसील-बाह, जनपद-आगरा।

शपथ-पत्र निम्नलिखित राजा महेंद्र अरिन्दन सिंह एवं स्वतः राजा महेंद्र रिपुदामन सिंह निज  
मदतपर हाउस सिविल लाइन्स आगरा। सम ५ सेंच 65 वर्ग  
में शपथ-कर्ता शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता है-

- 1 यह कि शपथ-कर्ता नैजा-मोगवा, तहसील-बाह, जिला-आगरा का मूल निवासी है।
- 2 यह कि उपरोक्त कद में खंगट सख्या-2/1, 2/2, 4/4, 6/7, क्षेत्रफल-0.4364 हेक्टेअर  
बिना खसरा नम्बर खोलें हुये दाखिल खारिज कर दिया गया है जो अनुचित है।
- 3 यह कि उपरोक्त बाद में दि. 12.01.2021 को जो रजिस्ट्री कराई गयी वह आवादी  
सांख्यिक गृहि है।
- 4 यह कि राजस्व अगिलेख खंगट में चिकंता का कमी भी उक्त आवादी पर न ही कमी व  
रहा है और न वर्तमान में है।
- 5 यह कि उक्त खंगट के जो खसरा नम्बर हे उनमें आवादी अर्कित है जिसका अमल दर  
किया जाता श्रीमान जी के अधिकार क्षेत्र से पर है।
- 6 यह कि उक्त आवादी के नम्बरों पर, श्रीमान जी के आदेश से शान्ति गंग होने की  
समाप्ति है।

सत्यापन: सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ-पत्र में यह एक लगायत छः भेरे निजी  
एवं जनकरी में सत्य न सही है। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। तस्दीक व मुकाम दी  
कवाहरी आगरा पर आज दिनांक-09.05.2022 को किया गया।



शपथ-कर्ता

शपथ-कर्ता



न्यायालय-श्रीमान तहसीलदार महोदय,

तहसील-बाह,

जनपद-आगरा।

विषय-: प्रार्थना पत्र वास्ते ~~गोबिन्द सिंह~~ तहसील-बाह के वाद स०-000278/2021, कम्प्यूटरीकृत वाद स०-12022010600278, धर्मवीर सिंह बनाम विमला देवी में किये गये आदेश दि० 25.03.2022 को निरस्त करते हुये पुनः वाद स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

1. यह कि उपरोक्त वाद में खेवट संख्या-2/1, 2/2, 4/4, 6/7, क्षेत्रफल-0.4364 हैक्टेअर पर विना खसरा नम्बर खोले हुये दखिल कर दिया गया है जो अनुचित है।
2. यह कि उपरोक्त वाद में दि०-25-3-2022 को जो राजस्त्री कराई गयी वह आवादी एवं सार्वजनिक भूमि है।
3. यह कि राजस्व अभिलेख खेवट नं० ~~2/1~~ में उक्त आवादी पर न ही कभी कब्जा रहा है और न वर्तमान में है।
4. यह कि उक्त खेवट के जो ~~खेवट नं० 2/1~~ हैं उनमें आवादी अंकित है, जिसका अमल दसगद किया जाना श्रीमान जी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
5. यह कि उक्त आवादी के नदखले न श्रीमान जी के आदेश से शान्ति भंग होने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि नये अपील दर्ज करते हुये उपरोक्त वाद के आदेश दि० -25.03.2022 को निरस्त करते हुये पुनः वाद नदखल पर लेते हुये गुण-दोष के आधार पर निस्तारित किये जाने का कष्ट करें।

प्रार्थी

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह  
पुत्र स्व०. राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह  
नि०.-भदावर हाउस, सिविल लाइन्स,  
आगरा।

17/05/2022  
RCB



किताब नं० 5

रसीद नं० 58

जायदाद शहर रियासत भदावर

नाम किरायेदार जहांगीर खाकिन पिनाह मुहल्ला मय

मय बल्दियत अरराज नं० घाता 229 महान नं० 2989

तारीख	किसेने जदा किया	किस बाबत किराया बसूल हुवा	महीना या साल	कुल या जुज	तादाद रुपया	पे०
29-2-2000	जहांगीर	जहांगीर	9-12-2000	जहांगीर	80	6

दस्तखत जिलेदार

*[Signature]*

किताब नं० 10

रसीद नं० 48

जायदाद शहर रियासत भदावर

नाम किरायेदार अरराज खाकिन पिनाह मुहल्ला मय

मय बल्दियत अरराज नं० घाता 229 महान नं० 2989

तारीख	किसेने जदा किया	किस बाबत किराया बसूल हुवा	महीना या साल	कुल या जुज	तादाद रुपया	पे०
29-2-2001	जहांगीर	जहांगीर	9-12-2000	जहांगीर	80	6

दस्तखत जिलेदार

*[Signature]*

किताब नं. 10 रसीद नं. 907

जायदाद कस्बा पिनाहट राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह भदावर

नाम किरायेदार: श्री सुष्मा मुंदरी साकिन पिनाहट मुहल्ला मय 595  
 नाम बलिदयत: 510 गोपीचंद्र पंडित नं. छाता 60 मकान नं. 595

तारीख	किसने जदा किया	किसे वापत किया	महीना या साल	पुल या जुल	तादाद रुपया	पैसे
24/8/2020	श्री सुष्मा मुंदरी	श्री गोपीचंद्र पंडित	01-4-2020	500	1800	00
			31/3/2021	500	1800	00

दस्तावेज जिलेदार

किताब नं. 10 रसीद नं. 908

जायदाद कस्बा पिनाहट राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह भदावर

नाम किरायेदार: श्री सुष्मा मुंदरी साकिन पिनाहट मुहल्ला मय 699  
 नाम बलिदयत: 510 गोपीचंद्र पंडित नं. छाता 61 मकान नं. 699

तारीख	किसने जदा किया	किसे वापत किया	महीना या साल	पुल या जुल	तादाद रुपया	पैसे
24/8/2020	श्री सुष्मा मुंदरी	श्री गोपीचंद्र पंडित	01-4-2020	500	1800	00
			31/3/2021	500	1800	00

दस्तावेज जिलेदार

(3)

## फर्जी वैनमाओं की पुष्टि प्रष्ट

1. इसान खान पुत्र वायुददीन खान दिनांक 06.11.2020 को फर्जी रजिस्ट्रेशन
  2. शारदा देवी पत्नी गीनेश वर्मा शिवाग्र 2019 रजिस्ट्रेशन नहीं है।
  3. बवलू पुत्र किल्लू खान जून 2019 रजिस्ट्रेशन नहीं है।
  4. सुभाषचन्द्र वर्मा पुत्र भगवती प्रसाद दिसम्बर 2019 रजिस्ट्रेशन नहीं है।
  5. प्रागदत्त शर्मा पुत्र लक्ष्मी नरायन शर्मा 21.05.2018 फर्जी रजिस्ट्रेशन
  6. नवल किशोर वर्मा पुत्र रामजीलाल 06.11.2020 रजिस्ट्रेशन नहीं है।
  7. श्रीमती बेवी वर्मा पत्नी वीरेन्द्र वर्मा 06.11.2020 रजिस्ट्रेशन नहीं है। —
  8. प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र सुभाष चन्द्र दिसम्बर 2019 रजिस्ट्रेशन नहीं है।
  9. श्रीमती मुन्नी वेगम पत्नी अजीज खान 8 जुलाई 2019 रजिस्ट्रेशन नहीं है।
  10. अनिल कुमार वर्मा पुत्र रघुवर दयाल वर्मा 06.11.2020 फर्जी रजिस्ट्रेशन
  11. किशवर वेगम पत्नी सकील जून 2019 रजिस्ट्रेशन नहीं है।
  12. मनू गुप्ता पुत्र जवाहरलाल गुप्ता अगस्त 2019 रजिस्ट्रेशन नहीं है। —
  13. सरोज देवी पत्नी केशोराम जून 2019 फर्जी रजिस्ट्रेशन —
  14. कुरसिदा वेगम पत्नी गुस्ताक अहमद दिसम्बर 2019 रजिस्ट्रेशन नहीं है।
- ६५ राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल वकील १६ अक्टूबर २०२१

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/प्रथम अपीलीय  
अधिकारी,कलक्ट्रेट,आगरा।

अपील संख्या: 249/2017-18, सूचना का अधिकार अधिनियम,

अपीलार्थी श्री प्रमाकर गुप्ता पुत्र श्री दामोदर गुप्ता, निवासी  
मौहल्ला खिरकिया, थाना पिनाहट, तहसील बाह,  
आगरा।

आदेश निस्तारण अपील

श्री प्रमाकर गुप्ता पुत्र श्री दामोदर गुप्ता, निवासी मौहल्ला खिरकिया, थाना  
पिनाहट, तहसील बाह, आगरा द्वारा यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार  
अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिनांक 06.02.2017 को योजित की गयी, जो इस कार्यालय  
में दिनांक 28.02.2018 को प्राप्त हुई है। आवेदक द्वारा मॉगी गयी सूचना, प्राप्त न होने  
पर, यह प्रथम अपील योजित की गयी है। अपीलार्थी के द्वारा वॉछित सूचना नियमानुसार  
उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गयी है।

आवेदक द्वारा मॉगी गई वॉछित सूचना के सम्बंध में जन सूचना  
अधिकारी/उपजिलाधिकारी, बाह, आगरा से स्थिति स्पष्ट करते हुये आख्या प्राप्त की गई।  
जन सूचना अधिकारी/उपजिलाधिकारी, बाह, आगरा द्वारा पत्र संख्या-130/ना0ना0,  
दिनांक 06.04.2018 से अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा उपजिलाधिकारी, बाह की  
आख्या संख्या-274/एराटी, दिनांक 27.10.2016 की प्रमाणित प्रति मॉगी गयी थी, जो उसे  
उपलब्ध करा दी गयी है।

ऐसी स्थिति में अपील के लभित रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता  
है। अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत अपील निस्तारित की जाती है।  
दिनांक: अप्रैल, 2018.

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/  
प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
कलक्ट्रेट, आगरा।

प्रतिलिपि:-

श्री प्रमाकर गुप्ता पुत्र श्री दामोदर गुप्ता, निवासी मौहल्ला खिरकिया, थाना  
पिनाहट, तहसील बाह, आगरा।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/  
प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
कलक्ट्रेट, आगरा।



कार्यालय उपसिद्धान्तिकारी, वाह (आगरा)

क्रमांक 274/एस0210

दिनांक 27 अक्टूबर 2016

प्रनारी अधिकारी (लोक शिक्षण) आगरा।

महोदय,

कृपया जहाँ प्रभावक गुफा, पुत्र, दामोदर दास गुप्ता निवासी कम्पा पिनाइट वाह के एन.ओ.अ. संख्या 4001/0/0292355 का सम्बन्ध में एएन करने का कष्ट-करें जिससे जाफिराने निवदानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए निस्तारण करवाने आख्या उपलब्ध करवाये जाने के निर्देश मिले गये हैं। जहाँ में अपनी रिक्तता में पूर्व में एन.ओ.अ. निवदानुसार संख्या 4001/0/0292355 निस्तारण करने द्वारा एन.ओ.अ. में एन.ओ.अ. पिनाइट में दिनांक 01/10/16 पर एन.ओ.अ. संख्या 4001/0/0292355 का धारणा बतला री जा रही है, जो निस्तारण पूर्ण में किया गया था वो भारत में से हुए गुण जाफिर कर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अनुरोध करना है कि उक्त शिकायत की प्रथम श्रेणीकरण वाह से भर्सा गई। उक्त/जदवा वाह में अपनी जाय आख्या में आगत्य करता है कि पिनाइट गुडरकर भगवत के सम्बन्ध किरा गगा तथा अन्य। किये गये। आवेदन द्वारा श्रेणी रूप से किया गया होने की बावत शिकायत की है। कम्पा पिनाइट में जैन संख्या का मादा संख्या 0156/1 एका 01/10/16 ई0 मुक्ति में कम्पा पिनाइट की आवादी वर्ज है, मत्ती में नकलगत के पुस्तकें गयी हुई है। मादा संख्या 0156/1 में अन्य जमींदारों के नाम जो किरा है नकलगत अतिरिक्त जो का नाम अंकित नहीं है। शिकायतकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की बरसीदां को नुताबिगारण के द्वारा शिकायत को नाम से देखें बसुत जा रहा है। आवेदन के कार्यवाही में सम्बन्ध में किसी सुझाव न्यायालय में बाध धान्य भव अनुसंधान बाध कर सकता है। आवेदन के ध्यान साथ में संलग्न है।

अतः महोदय वाह की आख्या मुक्त रूप से सादर कर उक्त शिकायती प्रस्ताव, मध्य निर्देशित शिथिल एवं किन्तु आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।  
संलग्नक - 01/10/16

उपसिद्धान्तिकारी, वाह (आगरा)

संख्या 2 दिनांक-01/10/16।

प्रतिलिपि-

- 1- प्रथम प्रकार गुफा पुत्र दामोदर दास गुप्ता निवासी पिनाइट वाह।

दायालु प्रमुख



उपसिद्धान्तिकारी वाह (आगरा)

(7)

<p>(ii) Buildings (Commercial and Residential) - Location(s) - Survey door number(s) - Extent (Total measurement) - Current market value</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Shops at Bhadravai Market, Dool Area, Agri</li><li>• 358 B</li><li>• 0.0916 hectares</li><li>• 815/0035</li><li>• HUF: (10 shares)</li><li>• Shops at Bhadravai Market, Agri</li><li>• 558</li><li>• 0.4444 hectares</li><li>• 171/0005</li><li>• Shops at Pradhari ✓</li><li>• 3153</li><li>• 0.15% hectares</li><li>• 142/20035</li><li>• Shops at Chonbat</li><li>• 121/0005</li></ul>	NIL	NIL	NIL	NIL
--	---	-----	-----	-----	-----

शुद्ध रूप से



1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

Handwritten signature and text at the top right of the page.

<ul style="list-style-type: none"> <li>Locations (s)</li> <li>Survey numbers (s)</li> <li>Built up Area (Total m<sup>2</sup> in sq. ft.)</li> <li>Whether inherited property (Yes or No)</li> <li>Date of purchase in case of self acquired property</li> <li>Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase</li> <li>Any investment on the land by way of development, construction etc.</li> <li>Approximate Current market value</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shops at Oldswater House, Agra</li> <li>598</li> <li>20140 sq ft. (1871 sq. mt.)</li> <li>Yes</li> <li>Not Applicable</li> <li>Not Applicable</li> <li>Nil</li> <li>1.71,000/- (As per valuation report)</li> </ul>	<p>Gross Value of HUF : (As per Details shown in Spouse Column) Entitled to her share only</p>	N.A.	N.A.	N.A.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Locations (s)</li> <li>Survey numbers (s)</li> <li>Built up Area (Total m<sup>2</sup> in sq. ft.)</li> <li>Whether inherited property (Yes or No)</li> <li>Date of purchase in case of self acquired property</li> <li>Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase</li> <li>Any investment on the land by way of development, construction etc.</li> <li>Approximate Current market value</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shops at Prichhat</li> <li>3158</li> <li>21098 sq ft. (1960 sq. mt.)</li> <li>Yes</li> <li>Not Applicable</li> <li>Not Applicable</li> <li>Nil</li> <li>15,15,000/- (As per valuation report)</li> </ul>	<p>Gross Value of HUF : (As per Details shown in Spouse Column) Entitled to her share only</p>	N.A.	N.A.	N.A.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Locations (s)</li> <li>Survey numbers (s)</li> <li>Built up Area (Total m<sup>2</sup> in sq. ft.)</li> <li>Whether inherited property (Yes or No)</li> <li>Date of purchase in case of self acquired property</li> <li>Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase</li> <li>Any investment on the land by way of development, construction etc.</li> <li>Approximate Current market value</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shops at Chitrahata</li> <li>N.A.</li> <li>N.A.</li> <li>Yes</li> <li>Not Applicable</li> <li>Not Applicable</li> <li>Nil</li> <li>1.21,000/- (As per valuation report)</li> </ul>	<p>Gross Value of HUF : (As per Details shown in Spouse Column) Entitled to her share only</p>	N.A.	N.A.	N.A.

Residential Buildings  
(Including apartment)

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

STRICTLY NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OFFICE OF THE REGISTRAR, AGR

2.12

Handwritten notes and signatures, including a date '17/11/16' and a signature 'H31741/16'.

गोदावरी

श्री प्रताप गुप्ता पुत्र श्री कान्तोदर गुप्ता नि. प्रौ. विश्वकिष्णा  
 भाग पिनाह तह.वाह जिला आगरा के सूचना क्रमिका 2  
 अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत दिए गये आवेदन पत्र  
 पर प्रस्तावित अपने आवेदन का अवलोकन करने की सुपावरी  
 जिले की प्रशासनिक प्रकृति में सूचना उपलब्ध करने के निम्न  
 दिए गये हैं, मांगी गई सूचनाएं एवं वे सूचना निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	मांगी गई सूचना	दी गई सूचना
1	2	3
1.	<p>गद कि मांजा पिनाह तह.वाह जिला आगरा की गाटा क्र. 2728 इक्वा 0.0460 व गाटा क्र. 2865 इक्वा 0.1500 कृषि क्षेत्र हैं या आवेदी में स्थित हैं।</p>	<p>मांजा पिनाह तह.वाह जिला आगरा की गाटा क्र. 2728 इक्वा 0.0460 व गाटा क्र. 2865 इक्वा 0.1500 राजस्व अधिकार प्राप्त हैं। फसल इन्सुरेंस</p>
2-	<p>उपरोक्त मांजा पिनाह तह.वाह जिला आगरा के गाटा क्र. 2728 व 2865 किराया कार्रवाई के गये राजस्व अधिकारों में दर्ज हैं।</p>	<p>आवेदक निती श्री. वासुदेव शर्मा तहसील वाह या CSC ले गाटा क्र. 2728 व 2865 की (नतीजा) नमूल प्राप्त कर अवलोकन कर सकते हैं।</p>
	<p>गद कि मांजा पिनाह की गाटा क्र. 2728 व 2865 में स्थित कुम्भेय मयानस कि गाटा क्र. में निहित हैं।</p>	<p>सूचना का निर्माण, सूचना अधिनियम 2005 की धारा 2(F) के अंतर्गत सूचना की परिधि में नहीं आती है।</p>

सूचना सेवा में सादर भेजे हैं।

15/11/21  
 पिनाह

15/11/21

3/3/2021  
 तह.वाह  
 18/11/21

उद्घरण खतोनी

उद्घरण संकेत : 12523520180E

: 125235 ग्राम का नाम / परमाणु : सिनाहर (पहाड़)  
 गांव/उपग्राम का नाम / पिन कोड संख्या का नाम / विधान सभा

उपचार : ५० : पत्तली ईड : 1420-1425  
 भागीदारों के नाम / भागीदारों का  
 नाम / पते का पता (दि.)

परिवर्तित सम्पत्ती अथवा यात्रा साधन अथवा अन्य  
 वस्तुओं का विवरण और अंश देते वाले अधिकारियों का पद

7-12 12

2

भूमि की संपत्तियों भूमिपूरी के अधिकार में है।

श्रीमान राजा महेंद्र अरिहन्तलाल / महाशय प्रियदर्शन सिंह व / पौत्रां

1355000 2728 0.0460  
 1355000 2865 0.1500

बस ४४० नं० ४४० नं० T2016010600107/2018  
 दिनांक 15/02/18 के अनुसार पौत्रां राजा व राजा व 365 के द्वारा  
 नं० 684/0.634 . 703/0.184 . 704/0.277 .  
 707/0.265 . 709/0.127 . 712/0.277 . 731/0.426 .  
 734/0.127 . 759/2.777 . 765/1.705 नं० कुल सिद्ध  
 10/6.799 नं० व पौत्रां विद्यादेव के द्वारा नं० 247 के अंतर्गत  
 544/0.556 . 617/0.451 नं० दिनांक 27/03/19 व द्वारा  
 नं० 236 के अंतर्गत 543/0.359 नं० व पौत्रां विद्यादेव के द्वारा नं०  
 1721 के अंतर्गत 2728/0.046 . 2865/1.150 नं० कुल सिद्ध  
 2/0.195 नं० कुल नं० 3 के अंतर्गत नं० 15 व नं० 3 के अंतर्गत  
 अरिहन्त सिंह व श्री महाशय महेंद्र प्रियदर्शन सिंह व पौत्रां विद्यादेव  
 महाशय व नं० 365 के अंतर्गत नं० 247 के अंतर्गत नं० 15 व नं० 3 के अंतर्गत  
 सिंह व श्री अरिहन्त सिंह व पौत्रां विद्यादेव महाशय व पौत्रां विद्यादेव  
 विद्यादेव व पौत्रां विद्यादेव व पौत्रां विद्यादेव व पौत्रां विद्यादेव  
 29.12.17 के अनुसार नं० 40 नं० 40 नं० 40 नं० 40 नं० 40

1 0.1960 ₹ 4.70 1 0

कुल क्षेत्रफल - मूल्य अनुमानित (₹) वी वी वी नृत्य (लेखक) कुल भू-मालिक - यादवराज व नृत्य वी वी

Digitally Signed by MAHESH CHAND SHARMA



REGISTRAR DEEPAK KUMAR  
 जहानपुर जिला नृत्य  
 दिनांक 09-08-2011 02:31:44  
 0 नं० 40 नं० 40 नं० 40 नं० 40 नं० 40

जहानपुर जिला नृत्य नृत्य नृत्य नृत्य नृत्य नृत्य नृत्य नृत्य नृत्य नृत्य

(2)	Teh	Mudite	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah		



Sl. No.	Name	Age	Sex	Religion	Marital Status	Education	Occupation	Income	Assets	Liabilities
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (ಪುಸ್ತಕ-14...)

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 12345

ಮೊದಲನೇ

ಪುಸ್ತಕ

ಸಂಖ್ಯೆ

12345

2019-2020

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 12345

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 12345

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 12345

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 12345

<ul style="list-style-type: none"> <li>Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase.</li> <li>Any Investment on the land by way of development construction etc.</li> <li>Approximate Current market value (including apartments)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Not Applicable</li> <li>30,56,26,000 (As per valuation report)</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Locations (s)</li> <li>Survey numbers (s)</li> <li>Area (Total measurement in acres)</li> <li>Whether inherited property (Yes or No)</li> <li>Date of purchase in case of self acquired property.</li> <li>Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase.</li> <li>Any Investment on the land by way of development construction etc.</li> <li>Approximate Current market value.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shops at Bhadwar Market, Civil Lines, Agra</li> <li>3/28 B</li> <li>4725.5 Sq. ft. (439 sq. mt.)</li> <li>Yes</li> <li>Not Applicable</li> <li>Not Applicable</li> <li>Nil</li> <li>42,34,000/- (As per valuation report)</li> </ul>			N.A.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Locations (s)</li> <li>Survey numbers (s)</li> <li>Area (Total measurement in acres)</li> <li>Whether inherited property (Yes or No)</li> <li>Date of purchase in case of self acquired property.</li> <li>Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase.</li> <li>Any Investment on the land by way of development construction etc.</li> <li>Approximate Current market value.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gross Value of M/s Raja Mahendra Aridaman Singh (Entitled to her complete share)</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Survey numbers (s)</li> <li>Area (Total measurement in acres)</li> <li>Whether inherited property (Yes or No)</li> <li>Date of purchase in case of self acquired property.</li> <li>Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase.</li> <li>Any Investment on the land by way of development construction etc.</li> <li>Approximate Current market value.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shops at Pithahat</li> <li>2728</li> <li>21095 sq.ft. (1960 sq. mt.)</li> <li>Yes</li> <li>Not Applicable</li> <li>Not Applicable</li> <li>Nil</li> <li>15,15,000/- (As per valuation report)</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Locations (s)</li> <li>Survey numbers (s)</li> <li>Area (Total measurement in acres)</li> <li>Whether inherited property (Yes or No)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gross Value of M/s Raja Mahendra Aridaman Singh (Entitled to his complete share)</li> </ul>			N.A.

NIL  
 पति का नाम राजा महेंद्र  
 अरिदामन सिंह  
 21/09/2017

शुद्ध  
 21/09/2017  
 अरिदामन सिंह

पति का नाम राजा महेंद्र अरिदामन सिंह  
 21/09/2017  
 पति का नाम राजा महेंद्र अरिदामन सिंह

Pakehalwa Singh



105

<ul style="list-style-type: none"> <li>Locations (s)</li> <li>Survey numbers (s)</li> <li>Area (total measurement in sq.ft.)</li> <li>Built up Area (Total measurement in sq. ft.)</li> <li>Whether inherited property (Yes or No)</li> <li>Date of purchase in case of self acquired property</li> <li>Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase</li> <li>Any investment on the land by way of development, construction etc.</li> <li>Approximate Current market value</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shops at Pinbat</li> <li>2738</li> <li>1960 sq. mt</li> <li>21023 sq. ft. (1960 sq. mt.)</li> <li>Yes</li> <li>Not Applicable</li> <li>Not Applicable</li> <li>Nil</li> <li>Rs. 15,15,000/- (As per valuation report)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rs. 39,25,675/- (As per valuation report)</li> </ul>	<p>(Gross Value of HUF - As per Details shown in Spouse Column) Entitled to his share only</p>	<p>N.A.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Locations (s)</li> <li>Survey numbers (s)</li> <li>Area (total measurement in sq.ft.)</li> <li>Built up Area (Total measurement in sq. ft.)</li> <li>Whether inherited property (Yes or No)</li> <li>Date of purchase in case of self acquired property</li> <li>Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase</li> <li>Any investment on the land by way of development, construction etc.</li> <li>Approximate Current market value</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shops at Chitralist</li> <li>N.A.</li> <li>N.A.</li> <li>N.A.</li> <li>Yes</li> <li>Not Applicable</li> <li>Not Applicable</li> <li>Nil</li> <li>Rs. 1,21,000/- (As per valuation report)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rs. 1,21,000/- (As per valuation report)</li> </ul>	<p>(Gross Value of HUF - As per Details shown in Spouse Column) Entitled to his share only.</p>	<p>N.A.</p>

1. मर्दाने या मर्दाने...  
2. मर्दाने या मर्दाने...  
3. मर्दाने या मर्दाने...  
4. मर्दाने या मर्दाने...  
5. मर्दाने या मर्दाने...



## कार्यालय-नगर पंचायत पिनाहट (आगरा)

पत्रांक / ...15.1.../न0पं0 पिनाहट/2022-23


दिनांक...26.10.2022

### नोटिस

श्री अमलेश कुमार, प्रगल्भ  
इन्डस टॉवर लि0 पिनाहट  
आगरा।

राईट ऑफ वे ऑनलाईन साइट पर आपके आवेदन संख्या- OVG02940 का संज्ञान ले जिसके द्वारा श्री अरिदगन सिंह पुत्र रिपुदगन सिंह की खसरा सं0 438 स्थित पिनाहट में टावर लगाने हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें स्थलीय निरीक्षण(फील्ड सर्वे) करने के उपरान्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु अंकन-10000(दस हजार) रुपये की जमानत धनराशि जमा किया जाना अनिवार्य है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपकी फर्म द्वारा उक्त टावर लगाने जाने हेतु कार्यालय नगर पंचायत पिनाहट के कैंनरा बैंक पिनाहट के खाता सं0-4287101004804 आई0एफ0एस0सी0 कोड-CNRB0004287 में कार्यालय नगर पंचायत पिनाहट के पक्ष में अंकन-10000-(दस हजार)रुपये की जमानत धनराशि जमा कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत पिनाहट  
(आगरा)

Sl. No.	Name	Address	Age	Sex	Marital Status	Religion	Occupation	Income	Assets	Liabilities	Signature	Date
1	1234 1234 1234 1234	1234 1234 1234 1234										
2	5678 5678 5678 5678	5678 5678 5678 5678										
3	9012 9012 9012 9012	9012 9012 9012 9012										
4	3456 3456 3456 3456	3456 3456 3456 3456										
5	7890 7890 7890 7890	7890 7890 7890 7890										
6	1122 1122 1122 1122	1122 1122 1122 1122										
7	3344 3344 3344 3344	3344 3344 3344 3344										
8	5566 5566 5566 5566	5566 5566 5566 5566										
9	7788 7788 7788 7788	7788 7788 7788 7788										
10	9900 9900 9900 9900	9900 9900 9900 9900										
11	1234 1234 1234 1234	1234 1234 1234 1234										
12	5678 5678 5678 5678	5678 5678 5678 5678										
13	9012 9012 9012 9012	9012 9012 9012 9012										
14	3456 3456 3456 3456	3456 3456 3456 3456										
15	7890 7890 7890 7890	7890 7890 7890 7890										
16	1122 1122 1122 1122	1122 1122 1122 1122										
17	3344 3344 3344 3344	3344 3344 3344 3344										
18	5566 5566 5566 5566	5566 5566 5566 5566										
19	7788 7788 7788 7788	7788 7788 7788 7788										
20	9900 9900 9900 9900	9900 9900 9900 9900										





पत्रांक संख्या २२३/कैम्प/लाप्रणि/शुभिकी/३२९६(आए)

दिनांक 16/5/2018

जिलाधिकारी,  
जनपद - आगरा।

अवगत कराना है कि कस्बा-पिनाहट में मेरी पैतृक सम्पत्ति, जो मेरे पूर्वजों द्वारा निर्मित करायी गयी है, जिसमें आवासीय भवन (किला) हाता तथा उससे अनुलग्न अकृषक भूमि जिसका मैं काबिज व स्वामी हूँ, के अतिरिक्त कस्बा में सैकड़ों दुकानात/मकानात हैं, जिसमें किरायेदार आबाद हैं, का मैं प्रतिवर्ष गृहकर आदि जमा करता चला आ रहा हूँ। गत वित्तीय वर्ष 01.04.2017 से 31.03.2018 तक का गृहकर आदि मेरे द्वारा जमा किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 का गृहकर आदि भी अग्रिम जमा करना चाहता हूँ।

अतः आपसे अनुरोध है कि गत वर्षों की भांति आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 का गृहकर जमा करवाने हेतु अधिशासी अधिकारी-पिनाहट को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे मैं आगामी वित्तीय वर्ष का गृहकर आदि जमा कर सकूँ।  
संलग्नक - यथोपरि।

TAC  
30/5/18

16.05.2018

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह  
पूर्व मंत्री उ. प्र. सरकार।

ADM (6)  
J.S. K.K.  
30/5/18

## कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

संख्या 183/टी0ए0सी0

दिनांक:- मई 30, 2018

विषय:- गृहकर जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पंचायत  
पिनाहट, आगरा।

उपरोक्त विषयक राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह पूर्व मंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये वर्ष 2018-19 के लिये नगर पंचायत पिनाहट में अपनी पैतृक सम्पत्ति का गृहकर जमा कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा गृहकर जमा कराये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

अतः राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह पूर्व मंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.5.2018 पर जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 30.5.2018 की मूलप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ भेजी जा रही है कि राजा अरिदमनसिंह पूर्व मंत्री उ0प्र0 सरकार से नगर पंचायत पिनाहट में उनकी पैतृक सम्पत्ति का गृहकर जमा कराकर तीन दिन के अन्दर इस कार्यालय में अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

आगरा  
30/5/18

## कार्यालय नगर पंचायत पिनाहट (आगरा)

सेवा में,

श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय,

(प्रशासन) आगरा

पत्रांक संख्या / 175 / न0पं0पिनाहट / 2018-19 /

दिनांक 22-6-2018

विषय :- गृहकर जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 1831/टी0ए0सी0 दिनांक 30 मई 2018 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह (मदावर) पूर्व मंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा अपने कैम्प कार्यालय के पत्र संख्या 233/कैम्प/कार्या/पूर्व मंत्री/उ0प्र0 सरकार द्वारा अपने पैतृक सम्पत्ति पर दुकानात एवं मकानात है जिसमें किराये दार आबाद है का मैं प्रति वर्ष गृहकर आदि जमा करता चला आ रहा हूँ गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 गृहकर आदि मेरे द्वारा जमा किया जा चुका है अब वित्तीय वर्ष 2018-19 का गृहकर आदि अग्रिम जमा कराना चाहता हूँ ऐसा प्रार्थनापत्र श्रीमान जिलाधिकारी महोदय आगरा को दिनांक 16.05.2018 को प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि नगर पंचायत पिनाहट आगरा में वर्ष 2018-18 का गृहकर में इन्द्राज दुकानदार एवं मकानों में रह रहे व्यक्तियों द्वारा गृहकर जमा करा दिया गया है नगर पंचायत पिनाहट आगरा में पूर्व मंत्री श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह पैतृक सम्पत्ति का कोई साक्ष्य सम्बन्धित अभिलेख नहीं है एवं श्रीमान तहसीलदार व कानूनगो की रिपोर्ट में कोई अभिलेख नहीं है आख्या श्रीमान जी की सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक:- श्रीमान तहसीलदार कार्यालय से प्राप्त किया गया अभिलेख

Kishori Gupta

ब. पं. पिनाहट  
(दावर)

अधिसाक्षी अधिकारी  
नगर पंचायत पिनाहट  
(आगरा)

RU204418654IN INR:2065204418654  
PL PINAHAT (283123)  
Counter No:1,25/06/2018,14:03  
To:AFAC JILA ADHIVARI,AGRA  
PIN:282002, SANJAY PLAZE 50  
From:ADHAKSHYA N,PINAHAT  
V:30:05  
Amt:27.00(Cash)  
Track on www.indiacost.gov.in



कार्यालय उपजिलाधिकारी, बाह (आगरा)

पत्रांक 274/एसओपी०

दिनांक- 27 अक्टूबर 2016

प्रजाशी अधिकारी (सोम शिकायत)  
आगरा ।

महोदय,

जुद्ध्या जादी प्रजाकर गुप्त पुत्र दागोदर दास गुप्ता निवासी कृष्णा पिनाहट तहसिल बाह के जून और अक्टूबर में की शिकायत जो कि जून चुनवाई नोटल पर और आवेदन दर्ज की गई है शिकायत संख्या 20014010002355 का संख्या 8499 करके यह काउन्सिलर गिरफ्त जाकोपरान्त निचानुसार आकर कार्यवाही करते हुए निस्तारण कराकर आवेदन खलफ करके जाने के निर्देश दिए गये हैं । प्रजाशी ने अपनी शिकायत में पूर्व में दर्ज की जा चुकी निचानुसार संख्या 40014010001075 जिले के उसके द्वारा निस्तारण की है कि काया पिनाहट में निवासियों द्वारा के नाम नसीद चार कर धरबाशि बसूल रही जा रही है, जो निस्तारण पूर्ण में किया गया था जो बसूल नही हुए हुए जांच कर कार्यवाही सिधे जाने का अनुरोध किया है ।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अनुरोध करना है कि उक्त शिकायत की प्रांश परतहसीलदार तह से कराई गई । तहसीलदार बाह ने अपनी जांच आरुसा में अद्यतन करवा है कि पिनाहट तहसील आरुसक से सन्बन्ध कितना गया तथा क्या । जिले में । आवेदन द्वारा अद्यतन रूप से निस्तारण करते जाने की कार्यवाही पिनाहट की है । करके पिनाहट में नोन केरके को मुद्रा संख्या 3150/1 संख्या 21705/10 मुद्रि में करके पिनाहट की अजादी दर्ज है, मुद्रि में नवजात के मुद्रि में भी है । गादी संख्या 3150/1 में अन्य जर्मिदारी के नाम जोकित है नहरास्य अतिरिक्त गादी का नाम जोकित नहीं है । शिकायतकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की अजादी के मुद्रि में जर्मिदारी का नाम से देख करवा जा रहा है । आवेदन के अजादी में संख्या में गिरी के अजादी न्यायालय में जाद सन्बन्ध कर आनुसार प्रस्तुत कर सकता है । जावेदक के ध्यान साथ में नोलन है ।

अन्य तहसीलदार बाह की आरुसा नुसख में सन्बन्ध कर उक्त शिकायती आरुसा, एवं निश्चित सिधे जाने हेतु आरुसा महोदय की सेवा में सादर प्रेरिया है ।

संलग्नक अजादी सानुसार ।

उपजिलाधिकारी, बाह (आगरा)

संख्या द दिनांक- उक्तसदत ।  
प्रतिलिपि-

1- प्रजाशी प्रजाकर गुप्त पुत्र दागोदर दास गुप्ता निवासी पिनाहट तहसिल बाह ।

दायालु प्रजाकर गुप्त पुत्र दागोदर दास

Handwritten signature



उपजिलाधिकारी, बाह (आगरा)





# राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह (भदावर)

पूर्व इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, उ.प्र. सरकार

पूर्व परिवहन मंत्री, उ.प्र. सरकार

पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, उ.प्र. सरकार

पूर्व स्वाम्य, न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं नागरिक सुरक्षा, उ.प्र. सरकार

पत्रांक संख्या 222 / 18 / 2018 / अगरा

दिनांक 28/6/2018

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)  
आगरा

अपगत कराना है कि कस्बा पिनाहट, तहसील-बाह, जनपद आगरा में मेरी पुरतनी जायदाद, सैकड़ों मकानात एवं दुकानात जिसका मैं मालिक, काविज य स्वामी हूँ। मेरे पिता स्व० राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह, जो अपने स्वर्गवास से पहले उपरोक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित टाउन एरिया का टैक्स लगातार अदा करते चले आये हैं। तदोपरान्त मैंने भी अपनी सम्पत्ति उपरोक्त दुकान एवं मकानात का टैक्स नियमानुसार वर्ष 2017-18 तक का टाउन एरिया पिनाहट में जमा कर दिया है।

उपरोक्त कार्य हेतु जिलाधिकारी, आगरा के निर्देश पर मैंने आपसे गुलाकात की, आपने टाउन एरिया चेयरमैन/पटल बाबू को सन् 1975 के बाद के समस्त अभिलेख/रिकॉर्ड, आज तक, के सम्पत्ति रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक कागजात लाने के लिए निर्देश दिये थे। टाउन एरिया पिनाहट के सम्पत्ति रजिस्टर में मेरा नाम मालिकान की हैसियत से दर्ज है। प्रभाकर गुप्ता एवं उनकी पत्नी श्रीमती किशोरी देवी गुप्ता, जो वर्तमान में चेयरमैन हैं तथा मेरे विरोधी हैं, जो मुझे अनुचित तरीके से सम्पत्ति रजिस्टर/अभिलेखों में खुरद-युर्द तथा हेराफेरी कर, मुझे नुकसान पहुँचाने की फिराक में हैं। टाउन एरिया के टैक्स वसूलने का अधिकार तो है लेकिन स्वागित्य तय करने का अधिकार नहीं है। अधिशारी अधिकारी, टाउन एरिया पिनाहट का पद भी रिक्त चल रहा है, ऐसा फिराके निर्देश पर हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उगत सम्बन्ध में आपके सर्वाधिकार सुरक्षित हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि टाउन एरिया के समस्त अभिलेख/रिकॉर्ड सन् 1975 के बाद से आज तक के तलब कर, मुझसे उपरोक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 का टैक्स जमा कराया जाये, जिसका कि मैं पूर्व प्रेषित पत्र में जिलाधिकारी, आगरा के माध्यम से आपसे अनुरोध कर चुका हूँ। चेयरमैन, नगर पंचायत पिनाहट और उनके पति प्रभाकर गुप्ता, मेरे व्यक्तिगत विरोधी हैं, जो मुझे अनुचित तरीके से रिकॉर्ड्स में हेराफेरी कर, मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, के खिलाफ प्रशासनिक/कानूनी कार्यवाही कर, दण्डित करने का कष्ट करें।

721/2

28.06.2018

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह  
पूर्व मंत्री, उ. प्र. सरकार।

40  
S. dubey  
na  
LBF  
ADM (E)  
Agra.  
17/07/18

कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

संख्या 2129/टी0ए0सी0

दिनांक:- जुलाई 24, 2018

विषय:- गृहकर जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपजिलाधिकारी,  
वाह, आगरा।

उपरोक्त विषयक राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह पूर्व मंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 28.6.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये वर्ष 2018-19 के लिये नगर पंचायत पिनाहट में अपनी पैतृक सम्पत्ति का गृहकर जमा कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, इस सम्बन्ध में प्रकरण की जाँच आपके द्वारा की जा रही है।

अतः राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह पूर्व मंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.6.2018 की मूलप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ भेजी जा रही है कि राजा अरिदमनसिंह पूर्व मंत्री उ0प्र0 सरकार की नगर पंचायत पिनाहट में तथाकथित उनकी पैतृक सम्पत्ति के सम्बन्ध में जाँच कर आख्या तीन दिन के अन्दर इस कार्यालय को अवगत कराना चुनिशियत करें।

संलग्नक-यथोक्त।

EC पिनाहट

841/51

इसे नियमावली आवश्यक  
जायजिदी करें।



S.D.M.

(3)

26/7/18

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)  
आगरा  
24/7/18



# राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह (भदावर)

अध्यक्ष - जिला सहायकी प्रशासि आगरा।  
मुख्य जलसंचालित एवं संचालन प्रशासिकी मंत्री, उ०प्र० सरकार।  
पूर्व मंत्रिद्वय (मन्त्री), उ०प्र० सरकार।  
मुख्य जिला एवं स्थास्थी मन्त्री, उ०प्र० सरकार।  
मुख्य सचिव, न्यायालय, राज्य, मनीयत एवं नागरिक सुरक्षा, उ०प्र० सरकार।

पत्रांक संख्या 165/उ०प्र०/आप्र०/पू०मन्त्री/उ०प्र० सरकार।

दिनांक 27/3/2022

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पंचायत पिनाहट,  
आगरा।

विषय-मेरी पैतृक सम्पत्ति कस्वा पिनाहट में स्थित मकानात/दुकानात, जिसका कि मैं मालिक, काबिज व दखील हूँ, जो कस्वा पिनाहट में मौहल्ला चांदनी चौक, मलहन दूला, किला अहाता, खटीक दूला, खिरकिया एवं मौहल्ला मार में स्थित है, के गृहकर जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि कस्वा पिनाहट में मेरी निजी पैतृक सम्पत्ति मकानात/दुकानात जो कई मौहल्लों/वाडों में स्थित है, का मैं, मालिक, काबिज व दखील हूँ। आपके यहाँ सम्पत्ति रजिस्टर में भी मेरी समस्त सम्पत्ति मकानात/दुकानात दर्ज हैं, जिसका मैं, गृहकर समय-समय पर जमा करता चला आ रहा हूँ। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 का उपरोक्त समस्त सम्पत्ति का गृहकर मैं जमा करना चाहता हूँ।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी निजी पैतृक सम्पत्ति मकानात/दुकानात एवं अन्य खाली जगह खण्डहर आदि, जो आपके यहाँ सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज हैं, के अनुसार मुझे उपरोक्त सम्पत्ति पर गृहकर की धनराशि कब से कब तक वकाया है, लिखित रूप से अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि वकाया गृहकर धनराशि सम्पत्ति रजिस्टर के अनुसार समयानुसार जमा करायी जा सके।

27/3/2022

27.03.2022

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह  
पूर्व मंत्री उ०प्र० सरकार

रानी पक्षालिका सिंह  
विधायक-भा०ज०पा०  
विधानसभा क्षेत्र-बाह, आगरा।



ख-6 N<sup>o</sup> 830152

जिलाधिकारी,  
आगरा।

अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा बाह की नगर पंचायत पिनाहट जो शासन द्वारा आदर्श नगर पंचायत घोषित की गई थी जिसमें शासन ने विकास / प्रकाश / सफाई तथा सुरक्षा हेतु सी०सी०टी०वी० व्यवस्था हेतु शासन से धनराशि आवंटित की गई थी। लेकिन नगर पंचायत पिनाहट द्वारा आज तक शासन के अनुरूप नगर पंचायत पिनाहट में कहीं भी प्रकाश/ सी०सी०टी०वी०/पेयजल की व्यवस्था किसी भी चौराहे पर नहीं की गई जो कार्य किये गये हैं वो भी मानक के अनुरूप नहीं किये गये ऐसा लगता है कि ठेकेदारों और नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा मिली भगत कर सरकारी धनराशि का बन्दर बाट किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनता की समस्याओं को देखते हुये आदर्श नगर पंचायत पिनाहट में प्रकाश/ सी०सी०टी०वी०/पेयजल की व्यवस्था अविलम्ब कराने की कृपा करें। तथा कृति कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें।

908/DI  
ADM AL/EO. पिनाहट

6/7/2022

.AM

110 05.07.2022

रानी पक्षालिका सिंह  
(विधायक)  
विधान सभा क्षेत्र-बाह (आगरा)

कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

संख्या: 2058/स्था0नि0

दिनांक : 15 अक्टूबर, 2022

विषय:- गृहकर जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद,  
वाह।

कृपया, राजा महेन्द्र, अरिदमन सिंह, ना0 पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार जिलाधिकारी महोदय से मिले एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2022 प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि कस्या पिनाहट तहसील वाह जनपद आगरा में उनकी निजी पैतृक सम्पत्ति, मकान एवं दुकानात आदि कई मोहल्लों एवं वार्डों में स्थित है, जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा वर्ष 2018 तक गृहकर जमा कराया जाना बताया गया है।

उक्त पत्र में यह भी उल्लिखित किया गया है कि गत वर्षों से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक समस्त सम्पत्ति का गृहकर जमा कराये जाने हेतु उनके द्वारा कई वार कहा गया है, परन्तु उन्हें गृहकर जमा कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत नहीं कराया जा रहा है।

अतः राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह के उक्त पत्र दिनांक 10.10.2022 एवं उसके साथ संलग्नों की छायाप्रतियाँ आपको इस आशय से संलग्न कर भेजी जा रही हैं कि आप गृहकर जमा कराये जाने के सम्बन्ध में तदनुसार सम्बन्धित को अवगत कराते हुये वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को भी शीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उक्तापत्र

(यशवर्धन श्रीवास्तव)  
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),  
आगरा।

संख्या व दिनांक : तद

प्रतिलिपि उपजिलाधिकारी, वाह को सन्दर्भित पत्र दिनांक 10.10.2022 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(यशवर्धन श्रीवास्तव)  
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),  
आगरा।

F.O. - 2058/स्था0नि0  
15-10-22

है। (रा. महेन्द्र अरिदमन सिंह) के उक्त पत्र दिनांक 10.10.2022 एवं उसके साथ संलग्नों की छायाप्रतियाँ आपको इस आशय से संलग्न कर भेजी जा रही हैं कि आप गृहकर जमा कराये जाने के सम्बन्ध में तदनुसार सम्बन्धित को अवगत कराते हुये वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को भी शीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करें।

5-10-22

# कार्यालय-नगर पंचायत पिनाहट(आगरा)

पत्रांक सं०. J.C. 50/न०पं०पि०/2022-23

दिनांक 01/11/2022

सेवा में,

निदेशक,  
स्थानीय निकाय निदेशालय,  
गोमती नगर सेक्टर सं० 7  
विस्तार लखनऊ, उ०प्र०

**विषय:- नगर पंचायत पिनाहट की सार्वजनिक भूमि पर विधायक पति महेन्द्र अरिदमन सिंह पुत्र स्व श्री रिपुदमन सिंह भदावर हाउस आगरा द्वारा रियासत के नाम अवैध वसूली अवैध बैनामा, आदि किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पंचायत पिनाहट की सार्वजनिक भूमि पर विधायक पति अरिदमन सिंह स्व० श्री रिपुदमन सिंह भदावर हाउस आगरा द्वारा रियासत के नाम पर अवैध वसूली, अवैध बैनामा, अवैध कब्जा किये गये हैं।

1. नगर पंचायत पिनाहट की सार्वजनिक भूमि आबादी गाटा सं 3158 रकबा 34.784 हे० में दुकान व मकान सार्वजनिक भूमि में अंकित है जो अन्य जमींदारों के नाम अंकित है जिसमें विधायक पति महेन्द्र अरिदमन सिंह पुत्र स्व० श्री रिपुदमन सिंह से अपने चुनावी शपथ पत्रों की निर्वाचन आयोग में लिखित में दर्शाये गये दिनांक मार्च 2007, मार्च 2012 में दर्शायी गयी दुकान व मकान जो अवैध व निराधार है।
2. चुनावी शपथ पत्रों की निर्वाचन आयोग में लिखित में दर्शाये गये गाटा सं० 2728 रकबा 0.0460 गाटा सं० 2865 रकबा 0.1500 में कृषि एवं बीहड़ की जमीन है जिसे पर विधायक पति महेन्द्र अरिदमन सिंह स्व० श्री रिपुदमन सिंह ने फसली जमीन पर दुकानें दिखायी है जो की फर्जी है अतः विधायक पति महेन्द्र अरिदमन सिंह स्व० श्री रिपुदमन सिंह 2728 रकबा 0.0460, गाटा सं० 2865 रकबा 0.1500 को अपने पुत्र रिपुदमन सिंह के नाम 27.12.2017 को दानपत्र कर दिया गया है। उनके उपरान्त 2018-19 2020-21 को नगर पंचायत पिनाहट की सार्वजनिक भूमि पर 14 अवैध बैनामों किये गये हैं जो कि बिना गाटा सं० के हैं।
3. नगर पंचायत पिनाहट की सार्वजनिक भूमि गाटा सं 3158 पर नगर पंचायत को गुमराह कर खसरा सं० 438 आबादी के बीच टावर दिखाया है। जो सुशील कुमार(मालती) है के नाम दर्ज है जोकि कृषि भूमि है।
4. नगर पंचायत पिनाहट की सार्वजनिक भूमि पर गाटा सं० 2742 पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा टूरिस्ट का कनेक्शन लिया गया है कनेक्शन सं० 781700533111 जोकि महेन्द्र अरिदमन सिंह पुत्र मनोज कुमार के अवैध कब्जा के नियत से लिया गया है।
5. कार्यालय नगर पंचायत पिनाहट में गृहकर पंजिका में अवैध नाम दर्ज कराने लिये रियासत के नाम आवेदन कराने हेतु दयाव बना रहे है। इनके आवेदन पत्र जिलाधिकारी को दिये गये है पत्र सं० 233/कैम्प/कार्या०/पूर्वमंत्री/उ०प्र०सरकार/ दिनांक 16.05.2018, पत्र सं० 222/कैम्प/कार्या०/आगरा। दिनांक 28.06.2018, पत्र सं० 165/कैम्प/कार्या०/पूर्वमंत्री/उ०प्र०सरकार दिनांक 27.03.2022 को दिये गये है।
6. विधायक पति महेन्द्र अरिदमन सिंह स्व० श्री रिपुदमन सिंह द्वारा कार्यालय नगर पंचायत पिनाहट में अवैध गृहकर दर्ज न होने के फलस्वरूप अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत करते रहते है।

संलग्नक- 1.साक्ष्यों की छायाप्रति।

2. तहसील द्वारा 3158 की छायाप्रति, 2758 की छायाप्रति।

अध्यक्ष  
नगर पंचायत पिनाहट  
आगरा

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Ki Eno's GUPY  
अध्यक्ष  
नगर पंचायत पिनाहट  
नगर पंचायत पिनाहट  
आगरा